कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर–302004

क्रमांकः एफ 14(170/17)2017/एफसीए/प्रमुवस/ 5129 दिनांक 08/03/2023

मुख्य वन संरक्षक,
कोटा।

विषयः–Diversion of 286.47 hactare of forest land in favour of Executive Engineer, Water Resource Division III, Baran for construction of Hathiyadeh Medium Irrigation project in Baran district, Rajasthan". (Proposal No. :- FP/RJ/IRRIG/24263/2017)

संदर्भः–आपका पत्र दिनांक 21.02.2023

महोदय,

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से प्राप्त पालना का परीक्षण उपरांत निम्नांकित बिन्दुओं की सूचना अभी भी अप्राप्त है:–

1. यूजर एजेन्सी द्वारा R&R plan की अनुमोदित प्रति ऑनलाइन पर सही अपलोड नही की गयी है एवं उक्त R&R प्लान सक्षम स्तर से अनुमोदित कर पत्र भी संलग्न नही किया गया है। CAT प्लान के संबंध में शपथ पत्र एवं एक प्रति संलग्न की गयी है, जिस पर मुख्य वन संरक्षक, कोटा/उप वन संरक्षक, बारां की टिप्पणी प्राप्त नही है।
2. उप वन संरक्षक, बारां द्वारा 35 है0 गैर वनभूमि में अतिक्रमण होना दृश्यमान है जिसमें यूजर एजेन्सी द्वारा अतिक्रमण हटाया जावेगा अंकित किया गया है। जबकि प्रस्ताव के पार्ट ।। में स्थल उपयुक्तता प्रमाण–पत्र (102.08 पाटेवा, 117 है0 पादुन्दा एवं 66.72 है0 पादुन्दा) में गैर वनभूमि अतिक्रमण से मुक्त है। प्रकरण में प्राप्त गैर वन भूमि पर अतिक्रमण है तो अतिक्रमण हटाया जाकर ही गैर भूमि लिया उचित होगा।
3. मक निस्तारण योजना के संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा मक को प्रयोग में लिए जाने एवं बकाया मक वन क्षेत्र के बाहर निस्तारित करने हेतु लिखा गया है योजना में यह स्पष्ट नही है कि अनुमानित कितना मक सृजित होगा एवं किस प्रकार उसका प्रयोग किया जावेगा इसके संबंध कोई योजना/वचनबद्धता संलग्न नही दी गयी है।
4. यूजर एजेन्सी द्वारा लागत लाभ विश्लेषण में अपेक्षित संशोधन नही किया गया है।
5. उप वन संरक्षक, बारां द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रकरण में प्राप्त गैर वन भूमि 286.47 है0 में से मात्र 95 है0 में ही वृक्षारोपण कराया जावेगा बाकि पारिभ्रांषित वन भूमि में कराया जावेगा। जबकि प्रस्ताव के साथ संलग्न स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र में साइट वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त बतायी गयी है, जो विरोधाभासी है। भारत सरकार के परिपत्र अनुसार प्राप्त गैर वन भूमि में लगने वाले पौधों के अतिरिक्त अवशेष पौधों को ही समीपस्थ पारिभ्रांषित वन भूमि में लगाये जा सकते है। प्रकरण में प्राप्त सम्पूर्ण NFL का उपचार किया जाना आवश्यक है।
6. यूजर एजेन्सी द्वारा पार्ट–I के बिन्दु संख्या L में NFL (Tikod Patunda-242.5 ha., Nachana khora- 26.336 ha., Aklera sagar-17.66 ha.) अपलोड की गयी है किन्तु Tikod Patunda-242.5 ha की के0एम0एल0 फाइल अपलोड नही की गयी है एवं इनके स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र भी संलग्न नही है।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

अतः प्रस्ताव लौटाया जाकर लेख है कि उपरोक्तानुसार विन्दुओं की पूर्ति करते हुए संशोधित प्रस्ताव पुनः भिजवाने का श्रम करावें।

उक्त आक्षेप सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीया,

Shikha

(शिखा मेहरा)
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 14(170/17)2017/एफसीए/प्रमुवसं/ 5130-31 दिनांक 08/03/2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. उप वन संरक्षक, बारां।
2. अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन विभाग, खण्ड—बारां।

उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner